

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादीती

फर्म अहकाम

हुक पावन्हे किया गया एवं अप्रिय में
 भविष्य में निरसाप्रलान कार्य करता पाया
 गया तो उसके विरुद्ध मित्रमानुसार
 कानूनी कार्यवाही करें कि दिखाने की
 दी गयी। यदि इसे के निष्कारण तक
 निरसाप्रल द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है
 तो निरसाप्रल को मित्रमानुसार निरसाप्रल
 के आदेशों की अवहेलना करने के
 कारण न्यायिक अभिरक्षा से निवेदन
 जानें कि आदेश दिये जाते ही
 तदनुसार नादीती एवं जमानाधिकारी
 नादीती को प्रथम से निर्णय की
 प्रति भेजी जावे। पत्रावली निरसाप्रल
 श्रुत मानी जाकर हस्ताक्षर डालना
 इहो निर्णय न्यायाधिकार 18.06.18
 को उचित समय प्राप्त शिवाजी में
 श्रुताया गया।

[Signature]
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 नादीती